

2018/00334

फर्द अहकाम
(नियम-26)

न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

~~निर्मला देवी स० साखवा~~

बनाम ~~सोहन~~

किस्म मुकदमा ~~दुरुस्ती~~

मुकदमा नं. ~~141~~
146/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12/6/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/321 दिनांक 12.6.18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत साखवा में प्रार्थीगण के नाम चक साखवा की जमाबन्दी सम्वत् 2077 के खाता नं 31 में खातेदार सोहन <u>निर्मला स० पुष्पिष्ठ</u> अंकित है। जिसका नाम <u>निर्मला देवी</u> है। जिसकी <u>निर्मला स० पुष्पिष्ठ के लो</u> पर <u>निर्मला देवी सकि पुष्पिष्ठ</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 12.6.18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक साखवा <u>साखवा</u> के खाता नं 31 में दर्ज खातेदार <u>निर्मला स० पुष्पिष्ठ के लो</u> <u>निर्मला देवी सकि पुष्पिष्ठ</u> की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला कलक्टर अदालत
रायसिंहनगर द्वार-2018
कैम्प कोर्ट साखवा
सहायक सचिव (राजस्व) रायसिंहनगर